उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(04 मार्च, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025

(2) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025

3-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी,

जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ख')

5-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां, मजरा रकबा पुरवा, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ग')

6-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत एकता नगर, कल्ली पश्चिम, शारदानगर द्वितीय वार्ड, रायबरेली रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'घ')

7-भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुम्भ, 2025 पर एक घण्टे की चर्चा।

8-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (चतुर्थ दिवस)

लखनऊ :
मंगलवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(04 मार्च, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
***1**	**19-2-2025**
***2**	**19-2-2025**
***3**	**19-2-2025**
***4**	**19-2-2025**
***5**	**19-2-2025**
***6**	**21-2-2025**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	**17-2-2025**
2	**21-2-2025**

नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

जनपद-प्रतापगढ़, विकास खण्ड-मानधाता के ग्राम सभा-बैशपुर में ओपेन जिम लगवाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, विकास खण्ड-मानधाता के ग्राम सभा-बैशपुर (नया पुरवा) में ओपेन जिम लगाया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो उक्त स्थान पर ओपेन जिम कब तक लगायेंगे ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

जनपद-प्रतापगढ़, विकास खण्ड-बिहार के ग्राम सभा-चकवड़ में ओपेन जिम लगवाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
2

*2-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, विकास खण्ड-बिहार के ग्राम सभा-चकवड़ में ओपेन जिम लगाया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो अब तक ओपेन जिम न लगाये जाने के क्या कारण हैं एवं कब तक उपकरण लगायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो ओपेन जिम के कितने उपकरण तथा ग्राम सभा में किस स्थान पर लगाया गया है ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु प्रदेश में शासकीय/अनुदानित संचालित छात्रावास के सम्बन्ध में

डा0 लालजी प्रसाद निर्मल 3	*3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु प्रदेश में कितने शासकीय/अनुदानित छात्रावास संचालित हैं ? (ख) उक्त छात्रावासों में जिलेवार छात्रों की संख्या क्या है ? (ग) उक्त छात्रावासों में छात्रों को क्या-क्या सुविधायें अनुमन्य हैं ? (घ) क्या अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नये छात्रावास खोलने पर विचार करेंगे ? (ङ) यदि हां, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

उत्तर प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा के अनुज्ञप्तिधारी आवंटन की वर्तमान नीति के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 4	*4-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा के अनुज्ञप्तिधारी आवंटन की वर्तमान नीति क्या है ? (ख) देशी मदिरा और विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी बनने के लिये आवेदन करने वालों के लिये क्या पूरे प्रदेश में एक समान आवेदन शुल्क लिया जाता है ? (ग) यदि हां, तो अलग-अलग वर्ग में कितना और इसके क्या नियम हैं ? (घ) पिछले तीन वर्षों में देशी और विदेशी मदिरा अनुज्ञप्तिधारी बनने के लिये आवेदन करने वालों से कितना राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ है ? (ङ) क्या अनुज्ञप्तिधारी बनने से रह जाने वाले आवेदकों के आवेदन शुल्क को सरकार द्वारा वापिस कर दिया जाता है ? (च) जनपद सहारनपुर में पिछले तीन वर्ष में देशी और विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी बनने के लिये कुल कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितनों का आवंटन प्राप्त हुआ एवं कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?	आबकारी राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

जनपद-अलीगढ़ में महारानी अवंती बाई लोधी स्टेडियम के रख-रखाव के लिये आवंटित बजट व कोच की व्यवस्था के सम्बन्ध में

डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी'
5

*5-(क) क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में महारानी अवंती बाई लोधी स्टेडियम स्थित है ?

खेल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) क्या उसके रख-रखाव के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है तथा खेल कराने के लिये कोच की व्यवस्था है ?

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में स्टेडियम के रख-रखाव के लिये बजट आवंटित हुआ था ?

(घ) यदि हां, तो किस खेल की सुविधा व्यवस्था पर कितना खर्च हुआ ?

(ङ) क्या खेलों के लिये नियमित कोच की व्यवस्था है ?

(च) यदि हां, तो कौन-कौन से खेल के लिये कोच की व्यवस्था है ?

(छ) यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

इन्दिरानगर लखनऊ में नवम्बर, 2024 में दिव्यांग पेंशन योजना के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
6

*6-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि इन्दिरानगर, लखनऊ के कितने दिव्यांगजनों द्वारा माह नवम्बर, 2024 में दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन किये गये हैं ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) आवेदन करने वाले व्यक्तियों को कब तक पेंशन स्वीकार करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह
1

1-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-नवागाँव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर निवासिनी श्रीमती परमेश्वरी पत्नी स्व0 परशुराम व श्रीमती रामपती पत्नी खुशीराम के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया गया था, रजि0 न0 312911961341 व 312911928691 है, किन्तु अभी तक आवेदकों को लाभ नहीं मिल रहा है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

	(ख) यदि हां, तो क्या आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन दिलायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 2	2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि इन्दिरानगर सेक्टर-14 लखनऊ के कितने व्यक्तियों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु माह जनवरी, 2024 में आवेदन किया गया ? (ख) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) आवेदन करने वाले व्यक्तियों को कब तक पेंशन स्वीकार करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में सामुदायिक उपयोग हेतु बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-गौरियाकलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जिला-सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में कोई भी सामाजिक स्थल न होने से वहाँ के निवासियों को शादी-विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा गाँव में बारात घर का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-गौरियाकलां में बारात घर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा के ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां के मजरा रकबा पुरवा में लगभग 400 मीटर डामर/आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां, विकास खण्ड-रेउसा, जिला-सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां के मजरा रकबा पुरवा में लगभग 400 मीटर डामर/आर0सी0सी0 रोड बनवाया जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वहाँ के निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां के मजरा रकबा पुरवा में डामर/आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत नगर निगम वार्ड-शारदानगर द्वितीय में सी0पी0 सिंह जी के मकान से जहनवी जनरल स्टोर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण नगर निगम वार्ड-शारदानगर द्वितीय, जिला-लखनऊ के मूल निवासी हैं। हमारे नगर निगम वार्ड-शारदानगर द्वितीय में सी0पी0 सिंह जी के मकान से जहनवी जनरल स्टोर तक सड़क बहुत जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वहाँ के निवासियों को उक्त मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उक्त मार्ग पर कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक स्थानीय प्रशासन से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि नगर निगम वार्ड-शारदानगर द्वितीय में सी0पी0 सिंह जी के मकान से जहनवी जनरल स्टोर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।